3.	Bulandshahr	3
4.	Bijnor	5
5.	Bareilly	3
6.	Badaun	1
7.	Barabanki	3
8.	Bahraich	2
9.	Basti	3
10.	Ballia	1
11.	Dehradun	1
12.	Deoria	8
13.	Etah	1
14.	Farrukhabad	1
15.	Faisabad	1
16.	Ghaziabad	2
17.	Gorakhpur	2
18.	Ghazipur	1
19.	Gonda	3
20.	Hardwar	2
21.	Hardoi	1
22.	Kanpur	1
23.	Jaunpur	1
24.	Kheri	5
25.	Meerut	7
26.	Maharaniganj	2
27.	Mathura	1
28.	Mau	1
29.	Nainital	6
30.	Padrauna	6
31.	Pilibhit	4
32.	Rampur	2
33.	Rai Bareilly	1
34.	Saharanpur	4
35.	Shahjahanpur	3
36.	Sultanpur	1
37.	Sitapur	5
38.	Varanasi	1
39.	Muzaffarnagar	6
40.	Moradabad	6
	TOTAL:	109

बाल श्रम की प्रथा का उन्मूलन करने के लिए कानून बनाया जाना

1423. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रम की प्रथा के उन्मूलन हेतु कब तथा कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कानूनों की समीक्षा की है, और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कानूनों के उल्लंघन करने वाले दोषी पाए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (23 सितम्बर, 1948 को अधिनियमित), खान अधिनियम, 1952 (15 मार्च, 1952 को अधिनियमित), बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें अधिनियम, 1966 (30 नवम्बर, 1966) को अधिनियमित) जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत किए गए निवारात्मक उपबंधों के अलावा बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (23 दिसम्बर, 1986 को अधिनियमित) के अंतर्गत भी अनूसूचित व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के प्रवर्तन का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन नियमों की सरकार द्वारा सतत रूप में समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर, उनमें संशोधन किया जाता है। बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए इन अधिनियमों के अधीन राज्यवार प्रवर्तन संबंधी आंकडे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1949 का प्रवर्तन

1992-93

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरियाणा	—	29	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	हिमाचल प्रदेश	75	58	—	—	—	—	—	—
3.	केरल	—	4679	—	—	—	39	—	12
4.	मध्य प्रदेश	12038	10961	—	5	—	695	—	389
5.	महाराष्ट्र	—	11374	—	—	—	—	—	—
6.	मेघालय	369	76	—	—	—	—	—	—
7.	उड़ीसा	7	92	—	—	1	—	—	—
8.	पंजाब	740	37	—	17	—	704	—	446
9.	राजस्थान	174	—	1	—	1	—	—	—
10.	तमिलनाडु	—	12510	—	20	—	20	1	1
11.	त्रिपुरा	9	166	—	—	—	—	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	11534	533	1883	83	1867	135	162	26
13.	दिल्ली	—	323	—	—	—	—	—	—
14.	चंडीगढ़	74	209	—	—	—	—	—	—
	कुल	25020	41047	1884	125	1869	1593	163	874

1993-94

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
	बाल अधि०	कार० अधि०	बाल अधि०	कार० अधि०	बाल अधि०	कार० अधि०	बाल अधि०	कार० अधि०
गुजरात	2440	7885	—	—	—	—	—	—
बिहार	1321	—	4	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	72	61	—	—	14	15	10	17
हरियाणा	241	143	45	2	—	—	—	—
केरल	—	3820	—	—	—	3	—	—
मध्य प्रदेश	2588	1437	—	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	731	13415	29	37	21	37	—	—
मणिपुर	9	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	290	191	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	95	45	79	2	—	2	—	—
पंजाब	726	277	1	3	1	219	—	204
राजस्थान	181	836	—	—	1	—	—	—
तमिलनाडु	—	6612	—	75	—	37	1	5
त्रिपुरा	—	40	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	7986	263	1646	29	1271	11	254	8
दमन और दीव	15	17	11	12	—	—	—	—
दिल्ली	187	286	—	—	—	—	—	—
कुल	16,861	35,378	1,814	160	1,306	324	264	2341

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन

1994-95

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजनों की संख्या		सिद्धदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०	बाल श्रम अधि०	कार० अधि०
1.	आन्ध्र प्रदेश	49110	—	1801	—	291	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिहार	1717	—	292	—	—	39	—	—
4.	गुजरात	2752	3963	—	—	—	—	—	—
5.	हरियाणा	174	34	—	1	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	केरल	1	—	—	—	—	—	—	—
8.	मध्य प्रदेश	497	1317	—	—	6	—	—	—
9.	मणिपुर	13	—	—	—	—	—	—	—
10.	मेघालय	244	293	—	—	—	—	—	—
11.	उड़ीसा	240	240	—	—	1	6	—	—
12.	पंजाब	550	965	12	8	20	10	—	—
13.	राजस्थान	175	831	—	—	—	—	—	—
14.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	तमिलनाडु	—	289	—	33	—	14	—	—
16.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	2025	35	61	—	61	—	—	19
18.	दमन व दीव	18	220	—	—	—	—	—	—
19.	दिल्ली	1735	1086	—	—	—	—	—	—
20.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	**59251**	**9272**	**2166**	**41**	**379**	**69**	**—**	**19**

Assured coal linkages for private power plants in Bihar and Maharashtra

1424. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what are the names anf locations of the private sector power plants in Bihar and Maharashtra to whom coal linkage has been assured;

(b) what is their capacity and demand for coal respectively;

(c) whether thee is any more scope for newcomers; and

(d) what is Government's policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (d) Long-term coal linkages to the following private sector thermal power plants proposed to